पत्र सं०–6 एस०एस०(6)65 / 2025– 4336 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–26 / 9 / 2025.

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के मछुआरों / कृषकों तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 28.81750 लाख (अठाईस लाख इक्यासी हजार सात सौ पचास) रुपये मात्र की लागत राशि से "एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता" एवं "गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" तथा "पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" की योजना की प्रशासनिक तथा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में विमुक्त की गई प्रथम किस्त की ₹ 14.63375 लाख (चौदह लाख तिरसठ हजार तीन सौ पचहतर) राशि के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के मछुआरों / कृषकों तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 28.81750 लाख (अठाईस लाख इक्यासी हजार सात सौ पचास) रुपये मात्र की लागत राशि से "एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता" एवं "गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" तथा "पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" की योजना की प्रशासनिक तथा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में विमुक्त की गई प्रथम किस्त की ₹ 14.63375 लाख (चौदह लाख तिरसठ हजार तीन सौ पचहतर) राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV, V एवं VI के रूप में संलग्न है।

2. मत्स्यपालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पत्र संख्या–NFDB/HRD/DoF/Bihar/2025-2026, दिनांक–07.07.2025 एवं 20.09.2025 द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 28.81750 लाख रुपये मात्र लागत राशि पर बिहार राज्य के मछुआरों / कृषकों हेतु "एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता कार्यक्रम" एवं

''गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु ''पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम'' की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में प्रथम किस्त की ₹ 14.63375 लाख राशि विमुक्त की गई है। शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि पर इन कार्यक्रमों की योजना की प्रशासनिक तथा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में विमुक्त प्रथम किस्त की राशि के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बिहार राज्य के मछुआरों/कृषकों को केन्द्र सरकार द्वारा मात्स्यिकी विकास हेतु स्वीकृत एवं कार्यान्वित कार्यक्रमों यथा PMMSY, PM-MKSSY, FIDF एवं राज्य योजनाओं आदि के संबंध में जागरूक करना है ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभा उठा सके तथा उनकी भागीदारी कार्यान्वित योजनाओं में सुनिश्चित हो सके। साथ ही, विभागीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक यथा बायोफ्लोक, आर०ए०एस०, केज में मछली पालन, मत्स्य आहार मील का अधिष्ठापन एवं संचालन, अलंकारी मछलियों का प्रजनन, पालन एवं प्रबंधन, एक्वेरियम का निर्माण की विधि, अर्धसघन एवं सघन पंगेशियस मछली पालन, महाझींगा बीज उत्पादन एवं पालन, कार्प, माईनर कार्प, कैटफीश, झींगा का बीज उत्पादन, पालन एवं प्रबंधन, एक्वापोनिक आदि विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि वे प्रशिक्षक के रूप में अपने–अपने जिला के मत्स्य कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं मत्स्य पालन के क्रम में उत्पन्न होने वाले कठिनाईयों का निराकरण हेतु परामर्श उपलब्ध करा सकेगें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से रोजगार के नये अवसर सृजित होगा, लाभार्थियों के वार्षिक आय में अभिबृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगा। साथ ही राज्य के मत्स्य पालकों को विभिन्न मात्स्यिकी से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकेगा।

4. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय–सीमा : इस योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में ग्यारह ''एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता कार्यक्रम'' 27 बैच में गैर आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर राज्य के 1225 मत्स्य कृषक/मछुआरा तथा 250 विभागीय पदाधिकारी लाभान्वित होंगे। इस पर कुल ₹ 28.81750 लाख रुपये मात्र राशि व्यय होने का अनुमान है।

5. योजनान्तर्गत लाभुक :– इस योजनान्तर्गत बिहार राज्य के मत्स्य कृषक/मछुआरा तथा विभागीय पदाधिकारी लाभान्वित होंगे।

6. फंडिंग पैटर्न (Funding Pattern) :– इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का शत प्रतिशत राशि का वहन भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा।

7. योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्न है –

(i) मत्स्यपालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पत्र संख्या–NFDB/HRD/Training/Dof/Bihar/2025-2026, दिनांक–07.07.2025 एवं 20.09.2025 द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि से बिहार राज्य के मछुआरों/कृषकों तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 28.81750 लाख रुपये मात्र की लागत राशि से ग्यारह "एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता" एवं सताईस बैच में "गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" तथा दस बैच में "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" कार्यक्रम की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में प्रथम किस्त की ₹ 14.63375 लाख राशि विमुक्त की गई है।

(ii) इस योजनान्तर्गत बिहार राज्य के मछुआरा/मत्स्य कृषक लाभुक होंगे। साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" के तहत मत्स्य पालन के वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इस योजनान्तर्गत 11 बैचों में एक दिवसीय कार्यशाला –सह– जागरूकता कार्यक्रम, सताईस बैच में तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दस बैच में पाँच दिवसीय "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया जाएगा। "प्रशिक्षकों के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना में आयोजित किया जायेगा।

(iv) इस योजनानतर्गत 1475 प्रतिभागी भाग लेंगे।

(v) योजनान्तर्गत प्रति बैच (50 प्रतिभागी) के एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता कार्यक्रम हेतु 30250 रुपये, प्रति बैच (25 प्रतिभागी) के गैर आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 7200 रुपये तथा प्रति बैच (25 प्रतिभागी) प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 60500 रुपये इकाई लागत निर्धारित है (अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न)।

(vi) इस योजनान्तर्गत कुल ₹ 28.81750 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न)।

(vii) इस योजनान्तर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना तथा जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न है

(viii) इस योजना के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समुचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे। संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) द्वारा योजनान्तर्गत कार्यान्वित अवयवों का प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु तिथि एवं पाठ्यक्रम/विषय, "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" हेतु बैच (विभागीय मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी) का निर्धारण आदि किया जाएगा।

(ix) इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का व्यय राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोड, हैदराबाद द्वारा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में निदेशक मत्स्य, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के युनिक कोड–BRPA00008100 में विमुक्त राशि से व्यय किया जाएगा।

(x) इस योजना के सफल क्रियान्वयन के उपरांत सम्बन्धित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का बैचवार, प्रतिभागियों का विहित प्रपत्र में सूची (अनुलग्नक–IV के रूप में संलग्न), Geo tagged फोटोग्राम एवं GFR-12C में उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न), Post Training Report (अनुलग्नक–VI के रूप में संलग्न) मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा समेकित विहित प्रपत्र में सूची, GFR-12C आदि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(xi) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना का क्रियान्वयन तथा कार्यशाला–सह–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति–सह–विमुक्ति आदेश संख्या–NFDB/HRD/Training/Dof/Bihar/2025-2026, दिनांक–07.07.2025 एवं 20.09.2025 में निहित प्रावधान शर्ते एवं दिशानिदेश के आलोक में किया जाएगा।

8. निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। साथ ही व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद को उपलब्ध करायेंगे।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

10. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव के अनुमति से निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवश्यक संशोधन/दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

11. यह स्कीम एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.012.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)65/2025 के पृष्ठ–10/टि० एवं दिनांक–26.09.2025.

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)65/2025 के पृष्ठ–10/टि० तथा डायरी संख्या–530, दिनांक–26.09.2025.

13. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

26/9/25

(मीना सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025–4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025–4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025–4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सम्बन्धित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025–4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025– 4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/Senior Executive (Tech), NFDB, हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025– 4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025– 4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)65/2025– 4336/पटना–15, दिनांक–26/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के मछुआरों / कृषकों तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोड, हैदराबाद द्वारा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के सी०एस०एन०ए० (Central Single Nodal Agency) प्रणाली में निदेशक मत्स्य, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के युनिक कोड–BRPA00008100 में विमुक्त राशि से व्यय तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

क्र.	योजना	योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृत राशि	केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि (लाख में) NFDB, हैदराबाद द्वारा PFMS पोर्टल के CSNA प्रणाली में युनिक कोड–BRPA00008100	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि से ''एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता'' एवं ''गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' तथा ''पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम'' की योजना।	₹ 28.81750 लाख	₹ 14.63375 लाख	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी– सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)
	योग :–		**₹ 14.63375 लाख**	

(चौदह लाख तिरसठ हजार तीन सौ पचहतर)

26/9/25

सरकार के अपर सचिव

4336
26/9/25

अनुलग्नक–II

(A).Cost norms for One Day Conference/Workshops for 50 participants

Sl.No.	Component and Unit Cost	Amount in Rs. for 50 Participants
01	Inaugural expenses (Banner, bouquets, photos etc.)	1000
02	Rent for the venue (restricted to actual maximum upto Rs. 5000/- one full day rent charges)	5000
03	Workshop kit (folder, pad, pen, reference material etc.) @Rs. 100/- per head	5000
04	Honorarium to Resource Persons @ Rs. 750/- for session/per person for 3 sessions	2250
05	Lunch & Refreshments @Rs.300/per person	15000
06	Miscellaneous	2000
	Total-	**30250**

Duration of the training programme:1 day
Number of Participants:50
Type of particiapants: Fish Farmers

(B).Cost norms for 3 Day Non-residantial Training Programme

Sl.No.	Component and Unit Cost	Amount in Rs. for 25 Participants
1.	Daily Allowance (DA)@Rs.300/-per trainee per day	22500/-
2.	Travelling Allowance (TA)@Rs.100@-per trainee per day	7500/-
3.	Honorarium to Resource Persons @ Rs. 750/- for session/per person (Amount arrived for 5 sessions for 3 day training programme)	3750/-
4.	Distribution of Training Materials/stationary (Rs.250/- per trainee per program)	6250/-
5.	Working Lunch, Tea, Snacks to participants (Rs.300/-per trainee per day)	22500/-
6.	Demonstration/Field Visit (Actuals subject to maximum of Rs. 300/- per trainee per program)	7500/-
7.	Miscellaneous	2000
	Total-	**72,000**

Duration of the training programme:3 day
Number of Participants:25
Type of particiapants: Fish Farmers

(C).Training of Trainers (ToT) Program for Department Officials)

Sl.No.	Component and Unit Cost	Total Cost for 25 Participants (In Rs.)
1.	Honorarium to Resource Persons @ Rs. 750/- for session for a maximum 2 sessions per day) Amount arrived for 8 sessions for 5 days programme. Rs. 1500/- per day	6000/-
2.	Training Materials-Rs.200/- per trainee	500/-
3.	Working lunch, Tea, Snacks to participants Rs.300/- per trainee per day	37500/-
4.	Field Visit Rs. 10000/- per programme	10000/-
5.	Miscellaneous	2000
	Total-	**60,500**

Duration of the training programme:5 day
Number of Participants:25
Type of particiapants: Department Official

4336
26/9/25

26/9/25
सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–III

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार रात्य के मछुआरों/कृषकों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता एवं गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(राशि रु० में)

क्र०	जिला	पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम			एक दिवसीय कार्यशाला–सह–जागरूकता			गैर–आवासीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		
		भौतिक लक्ष्य (बैच की सं०)	वित्तीय लक्ष्य	व्यय हेतु प्रथम किश्त की राशि	भौतिक लक्ष्य (बैच की सं०)	वित्तीय लक्ष्य	व्यय हेतु प्रथम किश्त की राशि	भौतिक लक्ष्य (बैच की सं०)	वित्तीय लक्ष्य	व्यय हेतु प्रथम किश्त की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर	10	605000	302500						
2	पटना							1	72000	72000
3	भोजपुर				1	30250	30250			
4	बक्सर							1	72000	
5	रोहतास							1	72000	
6	कैमूर							1	72000	
7	नालंदा							1	72000	
8	गया							1	72000	72000
9	जहानाबाद				1	30250				
10	अरवल				1	30250				
11	औरंगाबाद							1	72000	72000
12	नवादा							1	72000	72000
13	मुजफ्फरपुर							1	72000	72000
14	वैशाली							1	72000	
15	सीतामढ़ी							1	72000	72000
16	शिवहर				1	30250	30250			
17	पूर्वी चम्पारण							1	72000	72000
18	प0 चम्पारण							1	72000	
19	सारण							1	72000	72000
20	सीवान							1	72000	
21	गोपालगंज							1	72000	
22	सहरसा							1	72000	
23	सुपौल				1	30250				
24	मधेपुरा				1	30250				
25	पूर्णियाँ							1	72000	
26	अररिया				1	30250	30250			
27	किशनगंज							1	72000	
28	कटिहार							1	72000	72000
29	भागलपुर							1	72000	72000
30	बाँका				1	30250	30250			
31	मुंगेर							1	72000	72000
32	लखीसराय				1	30250	30250			
33	शेखपुरा				1	30250				
34	जमुई				1	30250				
35	खगड़िया							1	72000	72000
36	बेगुसराय							1	72000	
37	दरभंगा							1	72000	72000
38	मधुबनी							1	72000	72000
39	समस्तीपुर							1	72000	
	कुल योग–	**10**	**605000**	**302500**	**11**	**332750**	**151250**	**27**	**1944000**	**1008000**

4336
26/9/25

26/9/25
सरकार के अवर सचिव

अनुलग्नक–IV

Format for Submitting Participants List

Sl. No.	Name of the Participants	Age	Aadhaar No.	Gender	Category (General/ OBC/SC/ST)	Address/ Village	District
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

अनुलग्नक–V

GFR 12–C

[(See Rule 239)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENTS)

(Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

Sl. No.	Letter No.and	Amount	Certified that out of Rs.................................Of ....under the Ministry/Department
	Total		Letter No.given in the margin and Rs.................... .... .on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. ....has been utilized for the propose of ....for which it was sanctioned and that the balance of Rs...remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No. dated.......................)/ will be adjusted towards the grants payable during the next year......................................

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kinds of checks

exercised 1.

2.

3.

Signature...................................

Designation.................................

Date...

PS :- The UC shall is closese parately the actual expenditure in curred and loans and advances given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance withs cheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

4336
26/9/25

अनुलग्नक–VI

Post-training report format:

1. Training Program Details:

Title of Training Program: Name of the training program

Date of Training: Start date End date

Duration: Total hours/days

Trainer/Facilitator: Name of trainer or facilitator

Location (if applicable): Physical location or online platform used

Objective/Purpose: Brief description of the training program's goals

2. Participants:

Total Number Enrolled: Total number of participants who enrolled in the training

Status of participants: Fishermen/Students/Youth/Unemployed/others

3. Overview of the training program

Give a brief report on activities done in the training program

4. Outcome of the Training Program:

Ascending brief about the training program's impact on participants' knowledge, skills, and attitudes. Share any insights into how the training program contributed to personal or professional development, if any.

5. Resource person details

- Name
- Designation
- Organization
- Mobile Number

6. Training Completion Status:

Provide a brief overview of the completion status of the training program with a day-wise schedule

Day	Topics	Time	Resource person
1	*2*	*3*	*4*

4336
26/9/25